

an>

Title: Regarding CBI inquiry into the drug mafia in Meerut.

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):** अध्यक्ष जी, आजकल बहला-फुसलाकर नशीले पदार्थों के सेवन का आदि बनाकर और उसके आधार पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की घटनाओं से समाज को खतरा पैदा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को मेरे संसदीय क्षेत्र में हाल की एक घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह मेरठ के कुछ विद्यालयों में कम उम्र के छात्र-छात्राओं को दोस्ती के बहाने बहला-फुसलाकर एक गिरोह के कुछ लोगों द्वारा खाद्य सामग्री एवं फास्ट फूड इत्यादि में नशीले द्रव्य मिलाकर सेवन करवाने की घटनाएं सामने आती हैं। एक छात्र जिसे गिरोह के कुछ लोगों ने लगभग एक वर्ष से नशीले पदार्थों के सेवन की लत लगाकर नशे का आदी बनाया, तत्पश्चात इन लोगों ने ब्लेकमेल से लेकर सामुहिक दुर्व्यवहार करने की घटनाओं को अंजाम दिया। परंतु इस बहादुर छात्र के निर्भीकतापूर्वक बयान देने के बावजूद, उस लड़की ने स्वयं स्वीकार किया और कोर्ट के समक्ष बयान दिया कि उसके साथ बहुत घृणित कार्य किया गया, उसके साथ रेप हुआ। लेकिन उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन का रवैया इस अत्यंत विंताजनक मामले में गंभीरतापूर्वक खानबीन करने के बजाय लीपापोती करने का रहा है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे गिरोह जिनकी जड़े संभवतः दूर तकरी में लिप्त अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से जुड़ी हो सकती हैं, जो युवा वर्ग को नशीली द्रव्य के दलदल में धकेलने में लगे हैं। दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में भारत में कुल 12168 द्रव्य तस्करी के दर्ज मुकदमों में से लगभग एक-तिहाई 4064 मुकदमे उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज किये गये थे। इन आंकड़ों के आलोक में मेरठ में हुई उपरोक्त घटना की राष्ट्रीय स्तर की सक्षम जांच एजेन्सी से विस्तृत जांच करवा जाना बहुत आवश्यक है। ताकि द्रव्य तस्करी के इस अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संजाल को पकड़ा जा सके। अभी-अभी माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित थे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बहादुर छात्र को सुरक्षा मुद्दे पर न्याय दिलाया जाए तथा युवा वर्ग को द्रव्य के दलदल में धकेलने वाले इन द्रव्य तस्करी के खिलाफ सीबीआई जैसी सक्षम जांच एजेन्सी द्वारा जांच कराई जाए, ताकि भावी युवा वर्ग को इनके वंगुल से बचाया जा सके। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** कुमारी शोभा कारानन्दराजे, श्री निशिकान्त दुबे एवं कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विचार के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।